न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2016 / 00039 (194 / 2016)
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
–अपीलान्ट

बनाम

1. मनफूलराम
2. तेजाराम
3. पालाराम

पि0 रावताराम जाति मेघवाल निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4. निमा देवी
5. तैजो देवी
6. गुड्डी देवी
7. सन्तो देवी

पि0 रावताराम जाति मेघवाल निवासी पण्डितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश दिनांक 11.01.2016 सहायक कलक्टर पीलीबंगा प्र0 संख्या 1 / 2016 बअनवानी प्रार्थना–पत्र देवीलाल पुत्र मनफूल, तेजाराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितांवाली अनतर्गत धारा 15एएए रा0 काश्तकारी अधिनियम

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक – 30.07.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट पूर्वज रावताराम आदि ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें चक 39 एनडीआर के प0 नं0 84 / 355 किला नं0 4 ता 8 की बकाया किस्त जमा करवाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पेश किया। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को पूर्व 55 की मानते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं प्रार्थीगण को ब.हि.ब. निःशुल्क खातेदारी अधिकार प्रदान करने एवं सनद जारी करने आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलाण्ट की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नं. 170 की 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि ही खसरा नं. 178 में परिवर्तित हुई हो एवं वर्तमान में यही भूमि रेस्पोडेण्ट के कब्जा काश्त में हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं था एवं ना ही चक 39 एनडीआर के प0 नं0 84 / 355 किला नं. 1 ता 10 की 2.230 है0 भूमि रावताराम वगैरह की 55 से पूर्व की [illegible] साबित थी ना ही इस प्रकार का कोई अभिलेख पत्रावली पर उप[illegible] था फिर भी [illegible]स्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। भूमि पर [illegible] कोई रिपोर्ट नहीं [illegible] है। सीलिंग सीमा की जांच नहीं की गई। कानूनन रेस्पा0 को इस भूमि में निःशुल्क [illegible]री अधिकार किसी सूरत में प्रदान नहीं किये जा सकते थे। प्रार्थना–पत्र देवीलाल पुत्र मनफूल, तेजाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पुत्र रावताराम जाति मेधवाल द्वारा प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है परन्तु देवीलाल पुत्र मनफूल के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है। पत्रावली विधि परीक्षण में जाने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रेस्पोडेण्ट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है। प्रश्नगत भूमि प्री–55 की है। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. अधीनस्थ न्यायालय में देवीलाल पुत्र मनफूल व तेजाराम पुत्र रावताराम ने राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 15 एएए के तहत खातेदारी सनद जारी करने का अनुतोष मांगा था। धारा 15 एएए में खातेदारी अधिकार देने के लिए भूमि का पूर्व 55 की होना, लगातार कब्जा काश्त होना, किस खसरा नंबर से कौनसा खसरा या किला एव बीघा बने हैं आदि की तहसील कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त करना साथ ही प्रार्थी के पास उपलब्ध भूमि की सीलिंग सीमा आदि बिन्दूओं पर रिपोर्ट आवश्यक होती है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसील कार्यालय से सीलिंग सीमा से अधिक या कम भूमि होने के संबंध में रिपोर्ट नहीं ली गई जो कि अपेक्षित है। साथ ही प्रार्थना–पत्र देवीलाल पुत्र मनफूल, तेजाराम पुत्र रावताराम जाति मेधवाल द्वारा प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है परन्तु देवीलाल पुत्र मनफूल के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त पर सीलिंग सीमा आदि बिन्दूओं की जांच पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त पर सीलिंग सीमा आदि बिन्दूओं की जांच पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested

30/7/21

(करतारसिंह पूनिया)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ